न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–143/2023

GCMS NO:- 2023/222

दायर दिनांकः 30.06.2023

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

कालू आ0 लटूरलाल जाति नाथ नि0 गुढादेवजी तहसील नैनवॉ वगै. (कुल 3)

– प्रार्थीगण

बनाम

गंगाराम आ0 गोपाल जाति नाथ नि0 गुढादेवजी तहसील नैनवॉ वगैरह। (कुल 8)

–प्रत्यार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251क एआर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री विमल कुमार साहू।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 की ओर से अधिवक्ता श्री भारत भुषण गौत्तम।

निर्णय दिनांक 17.06.2025

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम गुढादेवजी मे खसरा नम्बर 1110, 1118, 1120 कुल किता 3 कुल रकबा 1.5614 हैक्टयर स्थित है। उक्त भूमि प्रार्थीगण एवं प्रत्यार्थीगण 1 लगायत 6 के संयुक्त खातेदारी आधिपत्य की भूमियां है। खसरा नम्बर 1120 की भूमि का मौके पर प्रार्थीगण एवं प्रत्यार्थीगण के मध्य बरसों दराज से आपसी सहमति से बाहमी विभाजन हो रहा है और उसी अनुसार प्रार्थीगण एवं प्रत्यार्थीगण काबिज काश्त होकर खेती काश्त करते चले आ रहे है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमियों के खातेदार प्रार्थीगण के पिता लटूर नााि आ0 गोपालनाथ का स्वर्गवास हो चुका है लेकिन अभी तक नामान्तरकरण नही खुलने से जमाबन्दी के लटूर नाथ आ0 गोपाल नाथ ही चला आ रहा है। खातेदार सुखपाल नाथ का भी देहावसान हो चुका है जिनके वारिसान प्रत्यार्थी संख्या 3 व 4 है। यह कि खसरा नम्बर 1120 मे प्रार्थीगण ने अपने हिस्से की भूमि मे इस वर्ष सरसों की फसल बोई व काटी है।

यह कि प्रार्थीगण अपने पूर्वजों के समय से ही गुढादेवजी से देई जाने वाले रोड से खसरा नम्बर 1120 की मेर पर होता हुए खसरा नम्बर 1107 मे होते हुए खसरा नम्बर 1120 मे अपने हिस्से की भूमि पर पहुंचते है जिसे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से दर्शाया गया है। यह कि खसरा नम्बर 1107 सिवायचक भूमि है। प्रार्थीगण को खसरा नम्बर 1120 व 1107 की मेर पर होकर 1107 मे होकर निकल रहे पुश्तैनी रास्ते की भूमि राजस्व नक्शे मे तरमीम नही होने से प्रत्यार्थीगण 1 लगायत 4 ने रास्ते की भूमि को फाडकर हांक जोत कर जबरन ताकत के बल पर अपनी भूमियों मे मिला दिया है और कांटो की बाड लगा दी है जिससे प्रार्थीगण का खसरा नम्बर 1120 मे अपने हिस्से भूमि पर पहुंचना मुश्किल हो गया है। उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। प्रत्यार्थीगण 1 लगायत 4 हमेशा लडाई झगडा करते है। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है। यह कि प्रार्थीगण को परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से दर्शाये गए रास्ते मुताबिक उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड मे 15–20 फुट चौडा रास्ता घोषित करवाकर राजस्व नक्शे व समस्त राजस्व रिकॉर्ड मे इस आशय का अंकन करवाये।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। हमने प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेजों का अद्योपान्त अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थीगण द्वारा जिस खसरा नम्बर 1120 पर जाने के लिए रास्ता चाहा गया है, वह शामलाती खाते की भूमि है जिसका विधिवत रूप से विभाजन नही हुआ है तथा बिना विभाजन इस पत्रावली मे धारा 251क के तहत् रास्ता दिया जाना न्यायोचित अथवा विधि सम्मत नही है अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 17.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नैनवॉ